

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग हाथरस।

Mandu Road Sokhna near R.T.O Office, Hathras- E-mail- dfohathras @gmail.com

पत्रांक 2040/14-1, दिनांक: हाथरस, जनवरी, 30, 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

विषय:-

जनपद हाथरस में मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा सादावाद-जलेसर मार्ग(एस0 एच0-122) कि0मी0 49 के मध्य बॉयी पटरी पर खसरा संख्या 1096 ग्राम सहपड़ तहसील सादावाद जनपद हाथरस में स्थापित होने वाले रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.0781246 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक 1969/11-सी, दिनांक-21.01.2025,

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा सादावाद-जलेसर मार्ग(एस0 एच0-122) कि0मी0 49 के मध्य बॉयी पटरी पर खसरा संख्या 1096 ग्राम सहपड़ तहसील सादावाद जनपद हाथरस पर प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु 0.0781246 है0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर संस्तुति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

S.N.	आपत्तियां	निराकरण
1	Copy of working plan prescription for of the forest land proposed of diversion की प्रति अपलोड नहीं है।	उक्त के अनुपाल में copy of working plan prescription for of the forest land proposed of diversion की प्रति अपलोड कर दी गयी है।
2	संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है अतः प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें।	उक्त के अनुपाल में संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर सहित अपलोड कर दिया गया है।
3	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।	उक्त के अनुपाल में अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
4	परियोजना 10 कि0 मी0 परिधि के बाहर सेन्चुरी /वन्य जीव विहार होने/न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।	उक्त के अनुपाल में परियोजना 10 कि0 मी0 परिधि के बाहर सेन्चुरी /वन्य जीव विहार होने/न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
5	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति हिन्दी (भाग-2) अपलोड नहीं है।	उक्त के अनुपाल में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति हिन्दी (भाग-2) अपलोड कर दिया गया है।
6	10 वर्षों का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन 10 प्रतिशत वर्तमान मंहगाई दर के अनुसार दुगनें अवन्त वनभूमि का 156 वृक्षों का ऑनलाईन अपलोड किया जाये।	उक्त के अनुपाल में 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन 10 प्रतिशत वर्तमान मंहगाई दर के अनुसार दुगनें अवन्त वनभूमि का 156 वृक्षों का ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
7	प्रभागीय वनाधिकारी का कवरिंग पत्र अपलोड नहीं है।	उक्त के अनुपाल में प्रभागीय वनाधिकारी का कवरिंग पत्र अपलोड कर दिया गया है।
8	प्रस्ताव की एक सिंगल पी0 डी0 एफ0 अपलोड नहीं है।	उक्त के अनुपाल में प्रस्ताव की एक सिंगल पी0 डी0 एफ0 अपलोड कर दिया गया है।
9	प्रस्ताव की एक सिंगल पी0 डी0 एफ0 फाईल उपरोक्तानुसार संसोधित पुनः अपलोड करें।	उक्त के अनुपाल में प्रस्ताव की एक सिंगल पी0 डी0 एफ0 फाईल उपरोक्तानुसार संसोधित पुनः अपलोड कर दी गयी है।

भवदीय,

(डा0 चंद्र प्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 2040/14-1, दिनांकित।

2. प्रतिलिपि- मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, संजय प्लेस, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 चंद्र प्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।